राजस्थान सरकार

न्यायालय अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर।

पीठासीन प्राधिकारी– अरविन्द कुमार जाखड़ रा.प्र.से.

अपील सं. 18/2022

उनवान

1. पुनमराम पुत्र भिखाराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम कावनी तहसील व जिला बीकानेर
2. भंवरराम पुत्र नत्थूराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम कावनी तहसील व जिला बीकानेर
3. बाबूलाल पुत्र नत्थूराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम कावनी तहसील व जिला बीकानेर
4. भंवरी देवी पत्नी नत्थूराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम कावनी तहसील व जिला बीकानेर

——अपीलान्टान

बनाम

1. बंशीलाल पुत्र छोटूलाल जाति ब्राहमण निवासी नत्थूसर गेट के अन्दर बारहगवाड़ बीकानेर
2. कमला देवी पत्नी राधाकिशन जाति ब्राहमण (पुरोहित) निवासी कावनी हाल नत्थूसर गेट के अन्दर बारहगवाड़ बीकानेर
3. शारदा पि0 राधाकिशन जाति ब्राहमण (पुरोहित) निवासी कावनी हाल नत्थूसर गेट के अन्दर बारहगवाड़ बीकानेर
4. जयप्रकाश पि0 राधाकिशन जाति ब्राहमण (पुरोहित) निवासी कावनी हाल नत्थूसर गेट के अन्दर बारहगवाड़ बीकानेर
5. ओमप्रकाश पि0 राधाकिशन जाति ब्राहमण (पुरोहित) निवासी कावनी हाल नत्थूसर गेट के अन्दर बारहगवाड़ बीकानेर
6. सुरजी देवी पत्नी गोपीकिशन जाति ब्राहमण (पुरोहित) निवासी कावनी हाल नत्थूसर गेट के अन्दर बारहगवाड़ बीकानेर
7. शंकुन्तला पि0 गोपीकिशन जाति ब्राहमण (पुरोहित) निवासी कावनी हाल नत्थूसर गेट के अन्दर बारहगवाड़ बीकानेर
8. सरीता पि0 गोपीकिशन जाति ब्राहमण (पुरोहित) निवासी कावनी हाल नत्थूसर गेट के अन्दर बारहगवाड़ बीकानेर
9. ज्योति पि0 गोपीकिशन जाति ब्राहमण (पुरोहित) निवासी कावनी हाल नत्थूसर गेट के अन्दर बारहगवाड़ बीकानेर
10. चारूरता पि0 गोपीकिशन जाति ब्राहमण (पुरोहित) निवासी कावनी हाल नत्थूसर गेट के अन्दर बारहगवाड़ बीकानेर
11. भंवरलाल पि0 जयकिशन जाति ब्राहमण (पुरोहित) निवासी कावनी हाल नत्थूसर गेट के अन्दर बारहगवाड़ बीकानेर
12. कालीदेवी पि0 जयकिशन जाति ब्राहमण (पुरोहित) निवासी कावनी हाल नत्थूसर गेट के अन्दर बारहगवाड़ बीकानेर
13. दाऊलाल पि0 जयकिशन जाति ब्राहमण (पुरोहित) निवासी कावनी हाल नत्थूसर गेट के अन्दर बारहगवाड़ बीकानेर
14. सीताराम पि0 जयकिशन जाति ब्राहमण (पुरोहित) निवासी कावनी हाल नत्थूसर गेट के अन्दर बारहगवाड़ बीकानेर
15. भंवरीदेवी पि0 जयकिशन जाति ब्राहमण (पुरोहित) निवासी कावनी हाल नत्थूसर गेट के अन्दर बारहगवाड़ बीकानेर

——रेस्पोडेन्टान

1. लिछमी पुत्री नत्थुराम जाति मेघवाल निवासी कावनी तहसील व जिला बीकानेर
2. मांगीदेवी पुत्री नत्थुराम जाति मेघवाल निवासी कावनी तहसील व जिला बीकानेर
3. ममता पुत्री नत्थुराम जाति मेघवाल निवासी कावनी तहसील व जिला बीकानेर
4. नारायणराम पि0 मोहनी देवी पुत्री भिखाराम जाति मेघवाल निवासी कावनी तहसील व जिला बीकानेर
5. रामुराम पि0 मोहनी देवी पुत्री भिखाराम जाति मेघवाल निवासी कावनी तहसील व जिला बीकानेर
6. कान्ता पि0 मोहनी देवी पुत्री भिखाराम जाति मेघवाल निवासी कावनी तहसील व जिला बीकानेर
7. ईश्वरराम पि0 मोहनी देवी पुत्री भिखाराम जाति मेघवाल निवासी कावनी तहसील व जिला बीकानेर
8. कोजूराम पि0 पुष्पा पुत्री भिखाराम जाति मेघवाल निवासी कावनी तहसील व जिला बीकानेर
9. प्रेमराम पि0 पुष्पा पुत्री भिखाराम जाति मेघवाल निवासी कावनी तहसील व जिला बीकानेर
10. संपतराम पि0 पुष्पा पुत्री भिखाराम जाति मेघवाल निवासी कावनी तहसील व जिला बीकानेर
11. घेवरी पि0 पुष्पा पुत्री भिखाराम जाति मेघवाल निवासी कावनी तहसील व जिला बीकानेर
12. मनोहर देवी पि0 पुष्पा पुत्री भिखाराम जाति मेघवाल निवासी कावनी तहसील व जिला बीकानेर
13. ओमी देवी पि0 पुष्पा पुत्री भिखाराम जाति मेघवाल निवासी कावनी तहसील व जिला बीकानेर
14. पार्वती पुत्री भिखाराम जाति मेघवाल निवासी कावनी तहसील व जिला बीकानेर
15. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार उपनिवेशन गजनेर मुकाम बीकानेर
16. उप पंजीयक बीकानेर

—गौण रेस्पोडेन्टान

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.08.2007 न्यायालय सहायक आयुक्त उपनिवेशन प्रथम बीकानेर मु0 कोलायत

उपस्थिति–

प्रार्थी की ओर से– विद्वान अभिभाषक श्री बहादुरराम सुथार

अप्रार्थी सं0 01 ता 05 व 11 ता 13, 15 की ओर से– विद्वान अभिभाषक श्री मदन मोहन रंगा

अप्रार्थी सं0 06 ता 10 की ओर से– विद्वान अभिभाषक श्री विजय कुमार भादाणी

अप्रार्थी सं0 14 की ओर से – एक तरफा कार्यवाही

निर्णय दिनांक :– 07/07/2011

निर्णय

1. यह अपीलें धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत न्यायालय सहायक आयुक्त उपनिवेशन प्रथम बीकानेर मु0 कोलायत द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.08.2007 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।
2. अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मुतनाजा भूमि वाके रोहि गाम कावनी पटवार हल्का जयमलसर तहसील कोलायत सं0 1 बीकानेर के खेत खसरा सं0 184 में तादादी

53 बीघा 17 बिस्वा कृषि भूमि अपीलांट व गौणरेस्पोडेन्टान संख्या 01 ता 14 की पुश्तैनी भूमि वर्ष 1955 से पूर्व की सम्वत् 2005 मिसल बंदोबस्त में भिखा पुत्र शंकरा कौम चमार खातेदारी भूमि रही है। जिसके खातेदारी अधिकार सक्षम अधिकारी द्वारा दिये गये। उक्त कृषि भूमि का विरासतन नामांतरण जरिये नामांतरण संख्या 16 दिनांक 30.03.1998 के मुस्मात बाधू देवी बेवा भिखाराम, नत्थूराम, पुनमराम पि0 भिखाराम, मोहनी, पार्वती, पुष्पा पुत्रियां भिखाराम बहिस्सा बराबर दर्ज हुआ। तथा बाधू देवी की मृत्यु उपरांत शेष वारिसान के नाम से दर्ज राजस्व रिकार्ड किया गया। उक्त वर्णित भूमि अपीलांट संख्या 1 पुनमराम व अपीलांट सं0 2 ता 4 व गौण रेस्पोडेन्टान सं0 01 ता 03 के पिता नत्थूराम तथा गौणरेस्पोडेन्टान सं0 04 ता 07 की माता मोहनी देवी व गौणरेस्पोडेन्टान सं0 08 ता 13 की माता पुष्पा पुत्री भिखाराम, गौणरेस्पोडेन्टान सं0 14 पार्वती पुत्री भिखाराम कौम चमार के नाम से लगातार दर्ज रिकार्ड रही है। अपीलांट व गौणरेस्पोडेन्टान सं0 01 ता 14 की उक्त वर्णित कृषि भूमि पर पुरानी ढाणी बनी हुई है। तथा पानी की कुड, पशुओं का बाड़ा बना हुआ है। अपीलांट व गौणरेस्पोडेन्टान संख्या 1 ता 14 के पिता जब तक जीवित थे उनका कब्जा काश्त रहा व वर्तमान में उनकी मृत्यु उपरांत अपीलांट व गौणरेस्पोडेन्टान संख्या 1 ता 14 का कब्जा व काश्त रहा है।

4. रेस्पोडेन्टान सं0 1 बंशीलाल व 2 ता 15 के पति/पिता राधाकिशन, गोपीकिशन व जयकिशन ने अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद प्रस्तुत कर विधि व विधि द्वारा पारित सिद्धान्तों के विपरीत अनुसूचित जाति की भूमि को हड़पने की नियत से दावा पेश किया। न्यायालय सहायक आयुक्त उपनिवेशन बीकानेर मुकाम कोलायत को प्रभाव में लेकर निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.08.2007 को पारित करवा लिया। जिससे प्रभावित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील पेश की जा रही है।
5. अपीलाधीन आदेश निर्णय एवं डिक्री अपीलांट के पीठ पीछे पारित किये जाने की जानकारी अपीलांट को कभी नहीं रही। दिनांक 07.06.2022 को रेस्पोडेन्ट सं0 1 व 2 ता 15 प्रतिनिधि अपीलांट के खेत की सींव पर उपरोक्त पेरा सं0 2 में अंकित खसरा नं0 में अपीलांट के कब्जा काश्त की भूमि पर अजनबी खरीददारों को अपने साथ लेकर आए। रेस्पोडेन्टान सं0 1 व 2 ता 15 के प्रतिनिधि सींव पर खड़े होकर पअीलांटन की खातेदारी, कब्जे काश्त व सुधार की हुई भूमि की ओर इशारा करते हुए अपने साथ आए अजनबी व्यक्तियों को बैय करने की वार्ता कर रहे थे। उनकी बाते सुनकर अपीलांट संख्या 1 व 4 वहां मौके पर आए और रेस्पोडेन्टान सं0 1 व उनके साथ आये लोगों से पूछा कि आज हमारे कब्जा काश्त एवं खातेदारी की भूमि पर किस लिए आये हो और यहा क्या कर रहे हो तब रेस्पोडेन्टान सं0 1 व 2 ता 15 प्रतिनिधि ने कहा कि यह जिस भूमि पर अपीलांट का कब्जा काश्त व ढाणी बनी हुई है। हमने इस भूमि का दावा पेश कर न्यायालय सहायक आयुक्त उपनिवेशन प्रथम बीकानेर मुकाम कोलायत से दिनांक 25.08.2007 को निर्णय एवं डिक्री हमारे पक्ष में करवाकर, हमारे नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा ली है। अब हम हमारे साथ आए व्यक्तियों को बैय करने का सौदा कर रहे है। चाहे कब्जा अपीलांट का क्यों न हो हमारे साथ आए अजनबी खरीददार धनबल व राजनैतिक पहुंच वाले गुंडे है। अपीलांट का कब्जा खाली करवा लेंगे।
6. अपीलांट सं0 1 ता 4 अगले दिन दिनांक 08.06.2022 को कोलायत सहायक आयुक्त उपनिवेशन में आकर वकील नियुक्त कर वकील द्वारा वर्ष 2007 के निर्णय की फाइल का सर्च करवाया तो मालूम हुआ कि जयकिशन बनाम नत्थूराम वगै0 मिसल नं0 80/3 निर्णय दिनांक 25.08.2007 को एक तरफा निर्णय एवं डिक्री पारित किया गया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय एवं डिक्री की जानकारी होने

पर दिनांक 08.06.2022 को नकल हेतु आवेदन किया। जो तैयारबाद दिनांक 14.06.2022 को प्राप्त हुई। नकल प्राप्त कर अपने गांव जाकर रूपयों की व्यवस्था कर बीकानेर आकर अपना वकील नियुक्त कर प्रथम जानकारी से अविलम्ब अन्दर मियाद पेश की जा रही है।

अदालत मातहत ने अपने निर्णय दिनांक 25.08.2007 में पृष्ठ सं0 3 में यह स्पष्ट किया गया है कि स्टेट के जवाब में "खसरा गिरदावरी सम्वत् 2014 से 2016 ग्राम कावनी का खसरा नं0 184 रकबा 55 बीघा 17 बिस्वा भिखा पुत्र शंकरा चमार साकिनदेह खातेदार दर्ज रिकार्ड रही व वर्तमान में भिखा के वारिसान के नाम से दर्ज है। उक्त भूमि उपनिवेशन विभाग में आने के कारण जरिये ईन्तकाल सं0 55 दिनांक 20.05.1969 द्वारा उक्त खातेदारी पुनः भिखा पुत्र शंकरा कोम चमार खातेदार दर्ज हुआ"। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय में भली प्रकार से ध्यान में आ गया था कि राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955 प्रभाव में आ चुका है। और वादगत भूमि अनुसूचित जाति की है। तथा उनका ही कब्जा काश्त है। तथा राजस्व रिकार्ड में भी अनुसूचित जाति के सदस्यों के नाम से दर्ज रिकार्ड है। फिर भी आदेश जैर अपील निर्णय एवं डिक्री पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय ने भारी भूल की है।

8. अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री जैर अपील अपीलांटान के पीठ पीछे तथा विधि द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों को मध्य नजर नहीं रखते हुए पारित किया गया है जो वॉयड आदेश है। वॉयड आदेश की अपील में मियाद अधिनियम भी बाधा उत्पन्न नहीं करता है। अपील जानकारी से अन्दर मियाद मानी जावें। अपील अपीलांटान पेश कर निवेदन है कि अपील मंजूर फरमाई जाकर मुकदमा नम्बर 80/3 में प्रदत निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.08.2007 न्यायालय सहायक आयुक्त उपनिवेशन बीकानेर मुकाम कोलायत निरस्त फरमाया जावे। तथा उक्त निर्णय से पूर्व की स्थिति जो राजस्व रिकार्ड में अंकन था उसी के अनुरूप राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। मृतक खातेदारों के स्थान पर इनके वारिसान अपीलांट व गौणरेस्पोडेन्टान के नाम से प्रतिस्थापित किया जावें।

9. वकील अपीलांट ने अपील मीमों के बिन्दुओं को ही लिखित बहस के रूप में प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलांट व गौणरेस्पोडेन्टान सं0 01 ता 14 की उक्त वर्णित कृषि भूमि पर पुरानी ढाणी बनी हुई है। तथा पानी की कुड, पशुओं का बाड़ा बना हुआ है। अपीलांट व गौणरेस्पोडेन्टान संख्या 1 ता 14 के पिता जब तक जीवित थे उनका कब्जा काश्त रहा व वर्तमान में उनकी मृत्यु उपरांत अपीलांट व गौणरेस्पोडेन्टान संख्या 1 ता 14 का कब्जा व काश्त रहा है। रेस्पोडेन्टान सं0 1 ता 14 द्वारा कोई ठोस आधार प्रस्तुत नहीं किया है एवं रेस्पोडेन्टान स्वर्ण जाति के सदस्य है। उक्त भूमि विवादित आराजीयात अपीलांट के पिता/दादा के नाम से दर्ज रिकार्ड थी। जो अनुसूचित जाति के सदस्य है। अनुसूचित जाति के व्यक्ति की खातेदारी अधिकार प्रोध्भूत नहीं हो सकते। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस दृष्टांत का हवाला अपने निर्णय में दिया है। अर्थात् आरआरडी 1977 के पेज नं0 57 के अनुसार जो अंकन किया है। जो धारा 19 के अन्तर्गत खातेदारी अधिकार रेस्पोडेन्टान को प्रदत किये है। उक्त दृष्टांत रेस्पोडेन्टान के खिलाफ है। अधीनस्थ न्यायालय इसका भली भांति अवलोकन नहीं किया है। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की भूमि के विरूद्ध अन्य जाति के व्यक्तियों को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते। यह निर्विवाद है। रेस्पोडेन्टान अनुसूचित जाति व जनजाति के व्यक्ति नहीं है। इस संबंध में न्यायिक दृष्टांत आरआरडी 1973 पेजन नं0 661 आरआरडी 1977 पेज नं0 613, आरबीजे 2007 पेज नं0 695, आरआरटी 2011(2) पेज 1319 विचारणीय है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.08.2007 खिलाफ कानून कायदा, प्राकृतिक

न्याय एवं रूहेदाद मिसल के है। इस कारण मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य एवं मियाद को कण्डोन करने के प्रयाप्त आधार है। विधि विरूद्ध आदेश में मियाद अधिनियम बाधा नहीं डालता। इस आधार पर मियाद बिन्दु गौण है। इसके संबंध में आरआरडी 1993 पेज नं0 411, आरआरडी 1992 पेज नं0 65, आरआरडी 1989 पेज नं0 708, एआईआर 1964 सुप्रीम कोर्ट, पेज नं0 1336 में पेश किए है। इस कारण रेस्पोडेन्टान की मियाद पर उठाई गई आपति खारिज की जावें। अपील गुणवागुण पर सुनी जावें।

विद्वान **अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 5 व 11 ता 15** ने लिखित बहस पेश करते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्टान की तरफ से राजस्व वाद संख्या 80/2003 में पुनमाराम आदि प्रतिवादी जो वर्तमान अपील में अपीलान्ट है न्यायालय सहायक उपनिवेशन आयुक्त प्रथम बीकानेर के समक्ष 19.11.2003 को उपस्थित आये तथा उन्हे अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु अनेकों अवसर प्रदान किये गये तथा समय–समय पर उनके द्वारा नियुक्त अभिभाषक श्री राजेन्द्र सिंह एवं श्री करण सिंह द्वारा निरन्तर पैरवी की जाती रही है। तत्पश्चात् दिनांक 24.08.2007 को उभय पक्ष की उपस्थिति एवं बहस सुनी जाकर 25.08.2007 को रेस्पोडेन्टान वादगण का वाद स्वीकार कर निर्णय एवं डिक्री उनके पक्ष में अपीलान्ट (प्रतिवादीगण) के खिलाफ पारित की गई ऐसी स्थिति में अपीलान्ट द्वारा उक्त निर्णय डिक्री दिनांक 25.08.2007 के विरूद्ध अपील दिनांक 25.07.2022 यानि करीब 15 वर्षों बाद मियाद बाहर प्रथम दृष्टता साबित है फिर भी अपीलान्ट द्वारा अपील अन्दर मियाद मानने हेतु अपील एवं समर्थन में धारा 5 मियाद अधिनियम देरी माफी का जो कारण वर्णित किया गया है जो मनगढ़त है यह सन्तोषजनक कारण नहीं माना जा सकता है उक्त कारण सद्भाविक कारण नहीं होने से अपील मियाद बाहर होने से देरी माफी का फायदा पाने का कतई अधिकारी नहीं रह जाता है इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दू पर माननीय उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के अनेकों निर्णय के मध्यनजर अपील अपीलान्ट मियाद बाहर प्रस्तुत करने से मेरिट पर सुनवाई से पूर्व प्राथमिक आपति का निस्तारण आवश्यक रूप से किया जाना चाहिए। कानूनी आपति प्रथमतः तय किये जाने संबंध में– 2024(1) आरआरडी पेज 207, पेज 357 आरबी (डीबी)। वेग प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र जानकारी तिथि दर्शायी जिसे सद्भाविक कारण नहीं माना जा सकता है– 1984 आरआरडी पेज 261, 2006 आरआरसी पेज 79। कानूनी बिन्दु प्रथमतः तय किए जाने बाबत न्यायालय स्वयं संज्ञान लेना चाहिए– 2024(1) आरआरटी पेज 653, पेज 54 एससी (डीबी)। रेस्पोडेन्ट सं0 1 के पिता 2 ता 5 के दादा स्व0 छोटूलाल पुत्र स्व0 फरसाराम ब्राहमण (पुरोहित) साकिन बीकानेर की जागीर के समय से पुश्तैनी भूमि बीकानेर तहसील के गांव कावनी में खसरा नं0 184 तादादी 53/17 बीघा बारानी भूमि खुद काश्त रेकार्ड सम्वत 2010 से काश्तकारी अधिनियम 1955 यानि दिनांक 15.10.1955 से पूर्व में उप काश्तकार दर्ज चली आ रही है तथा बतौर सबूत जमांबदी, गिरदावरी एवं ढालबाछ में दर्शाई रकम यानि लगान भी स्व0 छोटूलाल द्वारा राजकोष में जमा करवाया जाता रहा है सबूत एवं दस्तावेजात अधीनस्थ न्यायालय में पेश किए गये है अपीलान्ट की ओर से उक्त भूमि की बाबत न तो लगान दिया गया है और ना ही काश्त की गई है। रेस्पोडेन्ट के पूर्वज के नाम गिरदावरी सम्वत 2010 से 2048 तक रेस्पोडेन्टान द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पेश की गयी है वादगत भूमि पर कब्जा काश्त निरन्तर रेस्पोडेन्टान का रहा है तथा लगान भी जमा करवाया रहा है। अपीलान्ट द्वारा रेस्पोडेन्टान 1 ता 5 व 11 ता 15 के पिता व दादा पक्ष पारित निर्णय व डिक्री वाद सं0 80/2003 में सुनवाई के समय उपस्थित होकर दिनांक 25.08.2007 तक वादीगण के वाद पत्र के कथनों का जवाब अथवा खण्डन नहीं किया गया। राज्य पक्ष की ओर से

परोकार राज द्वारा प्रस्तुत जवाब के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विचारणीय बिन्दु कायम किए गये तत्पश्चात वादीगण रेस्पोडेन्टान सं0 2 ता 5 के पिता जयकिसन वगै0 की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत एवं शपथपूर्वक बयान गोपीकिसन, जयकिसन, हरणीसिंह कावनी, हरिकिसन कावनी आदि से विवादित भूमि का वादीगण का वाद बखूबी साबित होना मानकर उक्त खसरा नं0 184 तादादी 53/17 बीघा बारानी भूमि ग्राम कावनी का खातेदार कानूनी प्रावधानों के अनुसार घोषित किया गया है इस प्रकार निर्णय व डिक्री विधिक सम्मत होने से बहाल रखा जावें तथा अपील अपीलान्ट तथ्यहीन होने से खारिज फरमाई जावें। धारा–19 के प्रावधानों के अनुसार जो इस अधिनियम के प्रभाव में आते समय या उससे पूर्व या तत्समय निर्मित राजस्व रिकार्ड में खुदकाश्त के आसामी या शिकमी आससमी दर्ज हो उसे स्वतः तत्काल खातेदार घोषित किये जाने तथा रिकार्ड में खातेदार दर्ज करने का राज्य सरकार द्वारा प्रावधान किया गया इसी कानून के तहत रेस्पोडेन्टान के पिता/दादा स्व0 छोटूलाल को रेकार्ड में खातेदार अंकन जरिए इन्तकाल सं0 27 दिनांक 31.03.1661 को सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया गया तथा छोटूलाल की मृत्यु पश्चात् विरास्तन इन्तकाल सं0 30 दिनांक 22.01.1992 वारिसान जयकिसन, राधाकिसन, गोपीकिसन, बंशीलाल पुत्रगण छोटूलाल व पानादेवी पत्नि स्व0 छोटूलाल खातेदार स्वीकृत किया गया है। जमाबन्दी सम्वत 2022 ता 2025 छोटूलाल खातेदार दर्ज शुदा बतोर सबूत अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया। दिनांक 20.07.1968 को रेस्पोडेन्टान खातेदारों बिना सूचना वगैर नोटिस दिए बाला बाला तौर पर राजस्व अधिकारी व कर्मचारी की मिलीभगत से वादगत भूमि जरिए इन्तकाल संख्या 55 से भीखाराम के नाम खातेदार दर्ज करवायी गई जो गैर कानूनी एवं अवैध रूप से छोटूलाल खातेदार को सुनवाई का अवसर दिए बगैर स्वीकृत किया गया इन्तकाल शुरू से ही शून्य आदेश की श्रेणी में आता है। रेस्पोडेन्ट सं0 1 व रेस्पोडेन्टान 2 ता 5 व 11 ता 15 के पिता के पक्ष में निर्णय पारित कर डिक्री जारी की गई जो बहाल रखे जाने योग्य है। रेस्पोडेन्टान के राज0 काश्त अधिनियम 19 के तहत प्रदत अधिकार है वर्तमान में राजस्व रिकार्ड के अनुसार रेस्पोडेन्टान की संयुक्त खातेदारी निरस्ती के लिए काश्तकारी अधिनियम की धारा 63 के तहत सक्षम न्यायालय के आदेश प्राप्त किये जा सकते है। इन्तकाल की प्रक्रिया से खातेदारी अधिकार समाप्त नहीं किया जा सकते है इस कारण इन्तकाल संख्या 55 गैर कानूनी होने से एबीनिशियों वॉयड हो जाता है। तथा अपील अपीलान्ट अदालत वाला को गुमराह कर गलत आदेश प्राप्त करने के लिए प्रयासरत है इस कारण से अपील खारिज फरमाये जाने योग्य है। धारा 19 प्रभाव में आते ही जो स्वतः खातेदार हो गये ऐसे उपकाश्तकारों को धारा 19 की बाध्यता लागू नहीं होती ओर ना ही धारा 46 के परन्तुक का विपरीत असर पड़ता है ऐसी मान्यता विभिन्न न्यायालयों द्वारा अपने निर्णयों से स्पष्ट की गयी हैः– 1968 आरआरडी पेज 219, 1970 आरआरडी 387, 1977 आरआरडी पेज 57, 613, 2003(1) डीएनजे पेज 248 एचसी (डीबी) परन्तु अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत नजीरों के तथ्य भिन्न होने से चस्पा नहीं होती है।

धारा 46ए प्रभाव में आई जिसमें विशेष प्रावधान किया गया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के द्वारा काश्त या शिकमी काश्त पर अन्य वर्ग की जाति को भूमि उप काश्त हेतु नहीं दी जायेगी। परन्तु यह धारा 46ए कानूनन पूर्वगामी प्रभाव नहीं रखती है। अवलोकनार्थ (ा)1968 आरआरडी पेज 219, (ाा) 1970 आरआरडी पेज 387, रेस्पोडेन्ट के पूर्वज सम्वत 2012 के रिकार्ड में उप काश्तकार दर्ज होने से धारा 19 के तहत स्वतः खातेदारी प्राप्त कर चुके थे। इन्तकाल संख्या 27 रेस्पोडेन्ट के पूर्वज के नाम से धारा 19 के तहत खातेदारी दर्ज हो चुकी थी तत्पश्चात् पुनः धारा 88–19–135 के तहत वाद प्रस्तुत करने पर वादीगण के पक्ष में निर्णय व डिक्री दिनांक

25.08.2007 को प्रदान की गई है जो विधि सम्मत है। इसलिये अपीलान्ट की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

11. **विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 6 ता 10** की ओर से प्राथमिक आपति मियाद बिन्दु पर निम्न प्रकार से पेश की है– प्रस्तुत अपील स्पष्टता मियाद बाहर है, क्योंकि अपीलाधीन आदेश निर्णय मय डिक्री दिनांक 25.08.2007 को पारित की गई है। यह अपील धारा 223 आर.टी.एक्ट के अन्तर्गत पेश की गई है इसमें अपील की निर्धारित समय सीमा 60 दिवस की निश्चित है। मगर यह अपील 15 वर्ष पश्चात प्रस्तुत की गई है जिसका कोई सदभाविक एवं संतोषजनक कारण नहीं बताया है, जिससे यह माना जा सके कि जो 15 वर्ष की हुई देरी सदभाविक तौर पर हुई है। धारा 3 लिमिटेशन एक्ट के मुताबिक कोई भी अपील मियाद बाहर है, उसको कोर्ट को खारिज करना चाहिए, चाहे मियाद का बिन्दु प्रतिपक्ष उठावे या ना उठावे तथा अपील पर कोई भी आदेश पारित करने से पूर्व मियाद के बिन्दु को पूर्व में तय करना आवश्यक व आज्ञापक है। मियाद के बिन्दु को तय किये बिना अपील को मैरिट पर नहीं देखा जा सकता। इस बाबत निम्न नजीरें प्रस्तुत है–

RRT 2024 (2) page 919- No order passed on application u/s 5 before deciding for appeal – order is illegal.

RRT 2024 (2) page 1213- Before passing any order on merits application u/s 5 of limitation act is required to be decided.

RRT 2024 (2) page 1383- No order can be passed on merits without deciding the question of limitation.

RRT 2024 (1) page 207- Appeal can not be decided on merits without deciding the app. u/s 5 limitation act first.

RRT 2024 (1) page 307 (High court)- Without passing any order on the application u/s 5 limitation act- No oder passed on merit.

RRT 2024 (1) page 654 (Supreme court)- Duty of court to be dismiss. The appeal presented beyond the limitation though the opposite party has not raised any objection.

अतः रेस्पोडेन्टान द्वारा प्रस्तुत प्राथमिक आपति बिन्दु पर सर्वप्रथम निर्णय किया जावे तथा अपील को मियाद के बिन्दु पर खारिज फरमाई जावें।

12. वकील उभय पक्षों द्वारा की गई बहस को सुना गया तथा लिखित बहस का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण में जहॉ तक मियाद का प्रश्न है। मियाद के बिन्दु पर रेस्पोडेन्टान द्वारा प्राथमिक आपति भी पेश की गई। वकील अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में रेस्पोडेन्टान ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्टान की तरफ से राजस्व वाद संख्या 80/2003 में पुनमाराम आदि प्रतिवादी जो वर्तमान अपील में अपीलान्ट है न्यायालय सहायक उपनिवेशन आयुक्त प्रथम बीकानेर के समक्ष 19.11.2003 को उपस्थित आये तथा उन्हे अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु अनेकों अवसर प्रदान किये गये तथा समय–समय पर उनके द्वारा नियुक्त अभिभाषक श्री राजेन्द्र सिंह एवं श्री करण सिंह द्वारा निरन्तर पैरवी की जाती रही है। तत्पश्चात् दिनांक 24.08.2007 को उभय पक्ष की उपस्थिति एवं बहस सुनी जाकर 25.08.2007 को रेस्पोडेन्टान वादगण का वाद स्वीकार कर निर्णय एवं डिक्री उनके पक्ष में अपीलान्ट (प्रतिवादीगण) के खिलाफ पारित की गई ऐसी स्थिति में अपीलान्ट द्वारा उक्त निर्णय डिक्री दिनांक 25.08.2007 के विरूद्ध अपील दिनांक 25.07.2022 यानि करीब 15 वर्षों बाद मियाद बाहर प्रथम दृष्टता साबित है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर विदित होता है कि अपील अपीलांटान द्वारा अधीनस्थ

न्यायालय के समक्ष वाद में समय–समय पर उनके द्वारा नियुक्त अभिभाषकों द्वारा निरन्तर पैरवी की जाती रही है। तत्पश्चात् दिनांक 24.08.2007 को उभय पक्ष उपस्थित हुए एवं बहस सुनी जाकर दिनांक 25.08.2007 को निर्णय एवं डिक्री जारी की गई। अपीलान्ट द्वारा उक्त निर्णय डिक्री दिनांक 25.08.2007 के विरूद्ध अपील दिनांक 25.07.2022 यानि करीब 15 वर्षों बाद मियाद बाहर पेश की गई।

13. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील मियाद बाहर होने के कारण अपील अपीलांट अस्वीकार कर मियाद के बिन्दु पर ही खारिज की जाती है। यह निर्णय आज दिनांक 07/07/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरविन्द कुमार जाखड़)
अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन
एवं राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर